स्पीडपोस्ट

प्रेषक,

मण्डलायुक्त,
गोरखपुर।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा अनुभाग–7,
लखनऊ।

संख्याः /सत्ताईस–43(2008–09) दिनांक 15 जून, 2010

विषयः **प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 में लिये गये निर्णय की सूचना।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर – 5 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें **रिलायंस एकेडमी, राप्तीनगर, फेज–4, वेस्ट ऑफ रेल विहार, फेज–1, करीमनगर, गोरखपुर** को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया।

शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं निर्धारित बिन्दुओं पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 22.05.2010 के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा **रिलायंस एकेडमी, राप्तीनगर, फेज–4, वेस्ट ऑफ रेल विहार, फेज–1, करीमनगर, गोरखपुर** को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहर्ष सहमति प्रदान कर दी गयी है। मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(पी०के०महान्ति)
मण्डलायुक्त।

संख्या RJ-022-28 /सत्ताईस–43 (2008–2009) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, रिलायंस एकेडमी, राप्तीनगर, फेज–4, वेस्ट ऑफ रेल विहार, फेज–1, करीमनगर, गोरखपुर।

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

रिलायंस एकेडमी राप्तीनगर फेज–4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज–1, करीमनगर, गोरखपुर को कौसिल फार दि सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग–7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1916/15–7–09–1(299) /2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति की बैठक दिनांक 05.06.2010 का कार्यवृत्त –

शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–5 के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति की उपर्युक्त विषयक बैठक दिनांक 05.06.2010 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये –

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर — अध्यक्ष।
2. जिलाधिकारी, गोरखपुर — सदस्य।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर — सदस्य सचिव।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर — सदस्य।

गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर में स्थित शिक्षण संस्था **रिलायंस एकेडमी राप्तीनगर फेज–4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज–1, करीमनगर,** गोरखपुर को सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव जांचोपरान्त मण्डलीय समिति को प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु उपर्युक्त विद्यालय द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर को दिनांक 21.05.2010 को आवेदन किया गया है, जिस पर मण्डलीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर द्वारा समस्त अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद स्थलीय निरीक्षण दिनांक 22.05.2010 को करने के बाद प्रस्ताव दिनांक 03.06.2010 को मण्डलीय समिति को वर्तमान शासनादेशानुसार विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 22.05.2010 को किये गये अपनी स्थलीय निरीक्षण आख्या में अंकित किया गया है कि विद्यालय नगर निगम गोरखपुर की सीमा में स्थित है। रिलायंस एकेडमी मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशनल सोसाइटी करीमनगर राप्तीनगर फेज–4, वेस्ट आफ रेलबिहार कालोनी, गोरखपुर के नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र सं० 93/2000–2001 दिनांक 02.06.2000 को पंजीकृत किया गया है। आवेदन शुल्क रू० 10,000–00 09 जून, 2009 को जमा किया गया है। विद्यालय मौजा पोखरभिण्डा उर्फ करीमनगर, तप्पा खुटहन, परगना हवेली, तहसील सदर, जिला गोरखपुर में आराजी नं० 54, 74, 78 एवं 111 में 2.03 एकड़ भूमि जो श्रीमती अंजुम आरा पत्नी श्री फरमानुल्लाह अंसारी के नाम है से पंजीकृत लीज पर ली गयी है। विद्यालय में कुल 18 कक्षाकक्ष निर्मित हैं। विद्यालय साफ सुथरा, पानी बिजली एवं शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था है। विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित कुल 12 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें बी०एड०–9, एम०ए० नेट–1, एम०एस०सी० बायोटेकनालॉजी–1, एम०ए० अंग्रेजी–1, कार्यरत हैं। लिपिक–1 एवं 4 परिचारक तथा 03 बस चालक कार्यरत हैं। संस्था में 275 छात्र/छात्रायें पंजीकृत हैं। कर्मचारियों को नगद वेतन दिया जाता है। विगत दो वर्ष का परीक्षाफल संलग्न है। 2 वर्ष की सी०ए०रिपोर्ट पत्रावली पर है। विद्यालय में अग्निशमन यंत्र लगा है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या मण्डलीय समिति को दिनांक 03.06.2010 को विचारण हेतु पत्रावली सहित प्रेषित की गयी है।

मण्डलीय समिति ने **रिलायंस एकेडमी** राप्तीनगर फेज–4, **वेस्ट आफ रेलविहार, फेज–1, करीमनगर, गोरखपुर** के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर की स्थलीय जांच आख्या दिनांक 22.05.2010 का अध्ययन एवं परीक्षण किया। शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप के अनुसार सभी अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। विद्यालय के नाम से मानक के अनुरूप भूमि 29 वर्ष 11 माह 29 दिन के लिए पट्टे पर ली गयी है। भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। क्रीड़ास्थल हेतु विद्यालय के पास मानक के अनुसार भूमि है। नगरीय क्षेत्र में इस विद्यालय को स्थापित करने से इस क्षेत्र की शिक्षा पर अच्छा असर होगा।

उक्त के परिपेक्ष्य में मण्डलीय समिति **रिलायंस एकेडमी राप्तीनगर फेज–4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज–1, करीमनगर, गोरखपुर** को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है। तद्नुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय तथा सभी सम्बन्धित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।	संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।	जिलाधिकारी, गोरखपुर।

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

कार्यालय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या 792-98 /सत्ताईस–43 (2008–2009) 15 दिनांक जून, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
7. प्रबन्धक, रिलायंस एकेडमी राप्तीनगर फेज–4, वेस्ट आफ रेलविहार, फेज–1, करीमनगर, गोरखपुर।

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।